

अध्याय - 3

बोली लगाने की प्रक्रिया का प्रबन्धन

3.1 बोली लगाने की प्रक्रिया

प्रतियोगिता को बढ़ावा देना विद्युत अधिनियम 2003 के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। इसी लिए यूएमपीपीज़ हेतु परियोजना विकासकर्ता की पहचान शुल्क आधारित बोली प्रक्रिया से की जानी थी।

यूएमपीपीज़ हेतु बोली प्रक्रिया के दो चरण थे:

"योग्यता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू)", नामक प्रथम चरण में, बोलीदाताओं को अपने तकनीकी एवम् वित्तीय सामर्थ्य को निर्धारित फार्मेट में प्रस्तुत करना था। न्यूनतम तकनीकी एवम् वित्तीय कसौटी पर खरा उतरने वाले बोलीदाताओं को दूसरे चरण में प्रतिभागिता योग्य माना गया था।

"प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)", नामक दूसरे चरण में, बोलीदाताओं को तय वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से 25 वर्षों के लिए शुल्क उद्धृत करना था तथा सबसे कम समीकृत शुल्क उद्धृत करने वाले बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया गया था।

बोलियों का मूल्यांकन एक मूल्यांकन समिति जिसमें पीएफसी कार्यकारी तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल थे और एक व्यावसायिक परामर्शदाता (मै. अर्नस्ट एण्ड यंग) द्वारा मिलकर किया गया था। यह मूल्यांकन पीएफसी के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, सीईए के अध्यक्ष, बिजली अधिप्राप्तकर्ता राज्यों के प्रधान सचिव (विद्युत) तथा उद्योग के अन्य विशेषज्ञ के स्तर के सदस्यों वाली सर्वोच्च स्तरीय समिति की देखरेख में किया गया था। सम्बन्धित एसपीवीज़ के निदेशक मंडल/उच्च स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकन प्रतिवेदनों को स्वीकार किया गया था।

पीएफसी ने मार्च 2006 से मार्च 2012 तक की अवधि के दौरान छः यूएमपीपीज़ के लिए प्रतियोगितात्मक बोलियाँ आमन्त्रित की तथा सासन, मुन्द्रा, कृष्णापत्तनम तथा तिलैया नामक चार यूएमपीपीज़ के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा ठेके प्रदान किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरगुजा यूएमपीपी हेतु बोली (आरएफक्यू) 15 मार्च 2010 को आमन्त्रित की गई थी परन्तु बोलियाँ जमा करवाने की अन्तिम तिथि को समय-समय पर 04 जून 2012 तक बढ़ाया गया है। सुन्दरगढ़ यूएमपीपी के विषय में आरएफक्यू बोलियाँ 1 अगस्त 2011 को खोली गई थीं तथा बोली का मूल्यांकन प्रगति में था (मार्च 2012)।

चार प्रदत्त यूएमपीपीज में बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत शुल्कों की सूची अनुबन्ध 1 में दी गई हैं।

3.2 बोली प्रक्रिया प्रबन्धन परामर्शदाता की नियुक्ति

पाँच यूएमपीपीज के लिए बोली प्रक्रिया आयोजित करवाने में पीएफसी की सहायता हेतु परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु प्रतियोगी बोलियाँ आमन्त्रित की गई थीं। परामर्शदाता के कार्यक्षेत्र में बोली दस्तावेज (आरएफक्यू तथा आरएफपी) को तैयार तथा जारी करने में भाग लेना बोली-पूर्व तथा बोली-पश्चात सम्मेलनों में भाग लेना, बोली दस्तावेजों का मूल्यांकन और सफल बोलीदाताओं के साथ करार को अन्तिम रूप देने में सहायता करना शामिल था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सासन तथा मुन्द्रा यूएमपीपीज के लिए मै. आईसीआरए की क्रमशः ₹ 54.50 लाख तथा ₹ 44.50 लाख की न्यूनतम बोलियों पर विचार नहीं किया गया था हांलाकि बोलीदाता तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया गया था। काम ₹ 1.28 करोड़ प्रति की ऊँची दर पर मै. अर्नस्ट एण्ड यंग (मै. ई एण्ड वाई) इस आधार पर प्रदान किया गया था कि वे बांग्लादेश में अनपारा विद्युत परियोजना की बोली प्रक्रिया का प्रबन्धन कर रहे थे।

इसके अतिरिक्त, आईसीआरए ने कृष्णापत्तनम यूएमपीपी के लिए ₹ 54.50 लाख उद्धृत किए थे। तथापि, इस यूएमपीपी के लिए परामर्शदाता का काम उनके द्वारा पहले उद्धृत ₹ 1.28 करोड़ की तुलना में ₹ 60 लाख पर मै. ई एण्ड वाई को प्रदान किया गया था। तिलैया यूएमपीपी के लिए काम मै. ई एण्ड वाई को ₹ 60 लाख पर बिना कोई बोली आमन्त्रित किए प्रदान किया गया था।

इस प्रकार सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 160 में वर्णित सार्वजनिक अधिप्राप्ति में समानता के सिद्धान्त का अनुपालन नियुक्ति में नहीं किया गया था जिसके कारण ₹ 1.68 करोड़⁵ का अतिरिक्त व्यय भी हुआ।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2011 तथा मार्च 2012) कि तकनीकी दर निर्धारण तथा उद्धृत मूल्यों में विशाल भिन्नता थी। यूएमपीपीज के एक सम्माननीय कार्य होने के कारण सबसे अधिक बोली लगाने वाले तीन बोलीदाताओं (आईसीआरए, ई एण्ड वाई तथा सीआरआईएसआईएल) की प्रस्तुतियों को अपना विवेकपूर्ण माना गया था। क्योंकि मै. ई एण्ड वाई ने विद्युत परियोजनाओं के बोली प्रबन्धन पर परामर्श दिया था, कार्य के लिए उच्च स्तरीय समिति⁶ ने उन्हें सबसे उपयुक्त पाया।

⁵ मै. ई एण्ड वाई तथा आईसीआरए के प्रस्तावों में अन्तर अर्थात् ₹ 1.28 करोड़ x 2 - ₹54.50 लाख - ₹44.50 लाख) जमा 2 x (₹60 लाख - ₹54.50 लाख)

⁶ एमओपी द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति में स्टेट बैंक आफ इन्डिया, सीईए, आईडीबीआई, आईडीएफसी तथा पीएफसी के प्रतिनिधि थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोली मूल्यांकन समिति द्वारा मै. आईसीआरए को तकनीकी रूप से योग्य पाया गया था परन्तु सबसे कम मूल्य होने पर भी उनके प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे यह भी देखा कि बोली मूल्यांकन में कमियों के कारण जुलाई 2011 से बाद के काम के लिए पीएफसी को मै. ई एण्ड वाई को बाद में तीन वर्षों की अवधि के लिए निष्कासित करना पड़ा था। सासन तथा मुन्द्रा यूएमपीपीज़ के बोली दस्तावेजों के आकलन में उनकी कमियों के कारण मंत्रालय ने उन्हें एक कारण बताओं ज्ञापन भी जारी किया था।

3.3 बोली का दस्तावेजीकरण

परामर्शदाता (मै. ई एण्ड वाई) द्वारा यूएमपीपीज़ के लिए बोली दस्तावेज (आरएफक्यू तथा आरएफपी) एमओपी द्वारा विकसित तथा अधिसूचित (मार्च 2006) "बोली दस्तावेज मानक" के आधार पर तैयार किए गए थे। लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि ईजीओएम ने 06/07 सितम्बर 2007 में आयोजित अपनी बैठक में निर्देश जारी किया था कि यूएमपीपीज़ के लिए प्रयोग किए जा रहे एसबीडीज का पुनरीक्षण अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत क्षेत्र ठेकों का काम करने वाले पर्याप्त अनुभव प्राप्त वकील/विधि परामर्शदाता फर्म से करवाया जाना चाहिए। तदनुसार, दो कानूनी फर्मों⁷ को इस काम के लिए लगाया गया था परन्तु एसबीडीज पर उनके भिन्न मत होने के कारण, ईजीओएम ने 15 जनवरी 2010 को आयोजित अपनी बैठक में निर्देश दिया कि एसबीडीज पर योजना आयोग, कानूनी मामलों के विभाग तथा वित्तीय मामलों के विभाग की टिप्पणियाँ भी प्राप्त की जानी चाहिए। इस प्रकार इतने उच्च स्तर वाली मूल-भूत परियोजनाओं के लिए बोलियाँ उन बोली दस्तावेजों के आधार पर आमन्त्रित की गईं जिनका कानूनी मामलों के विभाग ने पुनरीक्षण ही नहीं किया था।

3.3.1 मानक बोली दस्तावेजों (एसबीडीज) में शर्तों का शिथिलीकरण

बोलीदाताओं की प्रतिक्रियाओं तथा पीएफसी की सिफारिशों के आधार पर एमओपी द्वारा एसबीडीज में समय-समय पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण संशोधन किए गए।

(i) मूल/सम्बद्ध की इक्विटी धारिता अपेक्षा में परिवर्तन

बोली मापदण्ड के अनुसार, बोलीदाता कम्पनी किसी मूल अथवा सहायक कम्पनी की तकनीकी तथा वित्तीय समर्थता का 100 प्रतिशत लाभ योग्यता के उद्देश्य के लिए ले सकती है। मार्च 2006 में जारी प्रारम्भिक बोली दस्तावेज के अनुसार बोलीदाता कम्पनी में ऐसी मूल/सम्बद्ध

⁷ मै. के.एल. गेट्स (अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी फर्म) तथा मै. फाक्स एण्ड मन्डल (दस्तावेजों के कानूनी पुनरीक्षण के लिए भारतीय इंटरफेस)

कम्पनी की इक्विटी धारिता अपेक्षा 51 प्रतिशत थी परन्तु बोलीदाताओं के साथ बोली पूर्व सम्मेलन के पश्चात मई 2006 में इक्विटी धारिता अपेक्षा 51 प्रतिशत से घटाकर 26 प्रतिशत कर दी गई थी। यह संशोधित मापदण्ड अभी तक प्रदत्त सभी चार यूएमपीपीज के बोली दस्तावेजों में प्रभावी कर दिया गया। परिवर्तन जिसे बोलीदाताओं के अनुरोध तथा परामर्शदाता मै. ई एण्ड वाई के परामर्श पर किया गया था ने भारत के सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक धारणा (एएसआई) 24 में दिए गए "स्वामित्व" तथा "नियन्त्रण" के सिद्धान्तों का अतिक्रमण किया। एएसआई 24 "नियंत्रण" को "एक उद्यम की आधे से अधिक संबद्ध कम्पनी (कम्पनियों) के माध्यम से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मतदान शक्ति के स्वामित्व अथवा कम्पनी के मामले में निदेशक-बोर्ड की रचना के नियंत्रण ताकि उसके क्रियाकलापों से आर्थिक लाभ प्राप्त किए जा सकें" के रूप में परिभाषित करता है। पीपीपी परियोजनाओं के लिए भारत के माडल आरएफक्यू दस्तावेज में भी 50 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता को मानदंड माना गया है।

संशोधन किए जाने के लिए अनुशंसा पीएफसी द्वारा भेजी गई थी (मई 2006)। लेखापरीक्षा ने उपरोक्त प्रस्ताव के अनुमोदन से सम्बन्धित एमओपी की फाइलों की जांच की तथा पाया कि शुरू में एमओपी को शिथिलीकरण के सम्बन्ध में शंकाए थीं⁸ तथा यह कहा था कि 26 प्रतिशत इक्विटी धारिता के अतिरिक्त प्रभावी प्रबन्धन नियन्त्रण को एक शर्त के रूप में शामिल किया जाए। तथापि बाद में इस विचार को परामर्शदाता मै. ई एण्ड वाई के साथ हुई चर्चा का हवाला देते हुए बदल दिया गया जिसने सपष्ट किया था कि "प्रभावी प्रबन्धन नियन्त्रण" का निर्धारण मुश्किल होगा तथा आश्वासन दिया कि 26 प्रतिशत शेयर धारिता का अर्थ नियन्त्रण है।

सासन, मुन्द्रा तथा कृष्णापत्तनम यूएमपीपीज के लिए आरपीएल द्वारा बोली प्रस्तुत करते समय, रिलायन्स एनर्जी लिमिटेड⁹ (आरईएल) की आरपीएल में मात्र 26 प्रतिशत की इक्विटी धारिता थी। आरपीएल की अपनी कोई तकनीकी अथवा वित्तीय क्षमता नहीं थी तथा उसने आरईएल की क्षमता का उपयोग किया था।

मंत्रालय ने बताया (मार्च 2012) कि बोलीदाताओं को परियोजना में इक्विटी वचन हेतु बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा समर्थित संकल्प प्रस्तुत करना था ताकि बोलीदाता कम्पनी मूल/सम्बद्ध के अनुभव का लाभ प्राप्त कर सके। मंत्रालय ने बाद में यह भी कहा कि सभी यूएमपीपीज में बिना किसी विशिष्ट विकासकर्ता को ध्यान में रखे सभी बोलीदाताओं के लिए यही मानदंड पालन किया

⁸ यूएमपीपीज के लिए मानक बोली दस्तावेज सम्बन्धित उच्च अधिकारियों तथा बिजली मंत्रालय द्वारा अनुमोदित फाइलों पर एमओपी के निदेशक (सुधार एवं पुर्ननिर्माण) द्वारा की गई टिप्पणियाँ।

⁹ इसे अब रिलायन्स इन्फ्रा लिमिटेड कहा जाता है।

गया था तथा कोई भी बोलीदाता मूल/सम्बद्ध के वित्तीय तथा तकनीकी सहायता के अभाव के कारण विफल नहीं रहा था।

उत्तर में इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है कि 26 प्रतिशत शेयर धारिता सत्व को तीन चौथाई बहुमत की अपेक्षा रखने वाले किसी विशेष संकल्प को रोक पाने योग्य ही बनाएगी जबकि किसी बड़ी योजना के कार्यान्वयन हेतु पैरेंट/संबद्ध के अनुभव का लाभ प्राप्त करने के लिए सामान्य संकल्प पास करने के लिए 51 प्रतिशत शेयर धारिता आवश्यक है।

(ii) मानक उपलब्धता और शास्ति की कमी

एसबीडीज़ (मार्च 2006) के मूल संस्करण में, यूएमपीपीज़ के लिए मानक उपलब्धता¹⁰ 80 प्रतिशत निर्धारित की गई थी। सीईआरसी के सुझावों और खरीदने वाले राज्यों जैसे गुजरात से संबद्ध 80 प्रतिशत से अधिक प्रोत्साहन क्षमता अधिक उदारवादी होने की चिन्ता के आधार पर अगस्त 2006 में जारी किए गये संशोधित मानक बोली दस्तावेजों में मानक उपलब्धता 85 प्रतिशत तक बढ़ायी गयी।

तथापि, विकासकर्ताओं की जोखिम को कम करने के लिए अगस्त 2006 में जारी आरएफपी में अनुबंधित 85 प्रतिशत को सितम्बर 2006 में 80 प्रतिशत तक घटाया गया था। परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा परिकल्पित शर्तों और निबंधनों में किसी भी देशी से बचने के लिए शास्ति को निवारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तथापि, वित्तीय बोली प्राप्त करने के पहले ही शास्ति के उदग्रहण के आधार को 80 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया था। ये दोनों संशोधन अब तक दिए गए सभी चार यूएमपीपीज़ के बोली दस्तावेजों में प्रभावी कर दिए गए। लेखापरीक्षा ने यह देखा कि चूँकि यूएमपीपीज़ को उच्चतर परिचालन कार्यक्षमता के लिए बनाया गया था, मानक उपलब्धता में 85 प्रतिशत से 80 प्रतिशत और शास्ति आधार में 80 प्रतिशत से 75 प्रतिशत, तक की दोनों कटौतियाँ यूएमपीपीज़ के परिचालन कार्यक्षमता के हित में नहीं थीं।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2012) कि एसबीडीज़ के अनुसार, मानक उपलब्धता बोली प्रक्रिया (जो कि 80 प्रतिशत थी) को उस समय विद्यमान सीईआरसी के शुल्क नियमों में विशिष्ट स्तर तक जोड़ लिया जायेगा। मंत्रालय ने आगे कहा कि विद्युत परियोजना विकासकर्ताओं में विश्वास जगाने की आवश्यकता है, चूँकि उनकी धारणा उच्च जोखिम वाली है और उच्च निष्पादन मानदण्डों के कारण कीमतें बढ़ सकती हैं और जिसके परिणाम में शुल्क अधिक हो सकते हैं।

¹⁰ उपलब्धता का आशय किसी निर्धारित अवधि में विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पादनयोग्य बिजली को अवधि के समय से विभाजित करने से प्राप्त मात्रा से है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि अगस्त 2006 में अधिसूचित वितरण लाइसेंस धारियों द्वारा बिजली की खरीद के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा शुल्क के निर्धारण के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन के अनुसार, बोली प्रक्रिया के समय केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) के शुल्क विनियमन में विशिष्ट स्तर से मानक उपलब्धता अधिकतम 5 प्रतिशत तक होगी। इसके मद्देनजर सितम्बर 2006 में मानक उपलब्धता की कमी दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं थी। इसके अलावा जनवरी 2009 में मानक उपलब्धता में 85 प्रतिशत तक का संशोधन करते हुए, सीईआरसी ने देखा कि 2004-05 से 2007-08 की अवधि के लिए कोयले में आपूर्ति की समस्या के कारण फरक्का थर्मल पावर स्टेशन को छोड़कर एनटीपीसी थर्मल पावर स्टेशनों की औसत उपलब्धता 200 मेगावाट इकाई और उसके ऊपर 86 से 97 प्रतिशत की सीमा तक थी। इसलिए बेहतर तकनीक पर आधारित यूएमपीपीज़ के लिए मानक उपलब्धता में 85 से 80 प्रतिशत की कमी तथा शास्ति लगाने के लिए आभार सीमा में कमी औचित्यपूर्ण नहीं थी।

(iii) प्रायोजक सत्व हेतु इक्विटी लॉक इन अपेक्षाओं का शिथिलीकरण

सासन तथा मुन्द्रा यूएमपीपीज़ प्रदान किए जाने के पश्चात् एसपीवी में चयनित बोलीदाता के लिए इक्विटी लॉक इन अपेक्षाएँ कृष्णापत्तनम तथा तिलैया यूएमपीपीज़ के लिए सीओडी से 12 वर्षों से सीओडी से 5 वर्षों तक घटा दी गई थीं (सितम्बर 2007)।

इसके अलावा विकासकर्ताओं को सभी चार यूएमपीपीज़ में प्रबन्धकीय नियन्त्रण (अर्थात् इक्विटी धारिता 51 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तक घटाई जा सकती है) वाणिज्यिक प्रचालन के दो वर्षों के बाद सौंपने की अनुमति दी गई थी, हालांकि उद्धृत शुल्क 25 वर्षों के लिए मान्य था। यूएमपीपीज़ की प्रारम्भिक तथा संशोधित इक्विटी लॉक इन अपेक्षाओं की तुलना नीचे सूचीबद्ध की गई है:

यूएमपीपीज़	
प्रारम्भिक इक्विटी लॉक इन अपेक्षाएं	संशोधित इक्विटी लॉक इन अपेक्षाएं
(क) विद्युत स्टेशन के सीओडी के पश्चात् दो वर्ष की अवधि हेतु 51 प्रतिशत	(क) विद्युत स्टेशन के सीओडी के पश्चात् दो वर्ष की अवधि हेतु 51 प्रतिशत
(ख) उसके पश्चात् दस वर्षों की अवधि हेतु 26 प्रतिशत	(ख) उसके पश्चात् तीन वर्षों की अवधि हेतु 26 प्रतिशत

मंत्रालय ने कहा (जनवरी तथा मार्च 2012) कि जब परियोजना में निवेश इक्विटी तथा ऋण के रूप में करना पड़ता है तब परियोजना के सीओडी-पूर्व चरण में इक्विटी लाक-इन सुनिश्चित किया जा चुका है तथा एक बार परियोजना प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् परियोजना जोखिम

तुलनात्मक रूप से कम हो जाता है। मंत्रालय ने यह भी कहा (मार्च 2012) कि इक्विटी लाक इन प्रावधान अधिकृत मंत्री समूह (ईजीओएम) के अनुमोदन के पश्चात् परिवर्तित किए गए थे।

यूएमपीपीज़ विशाल परियोजनाएँ हैं जिनमें अत्यन्त महत्वपूर्ण तकनीक का उपयोग होता है तथा पूरे 25 वर्षों के दौरान में विकासकर्ताओं द्वारा इनका मितव्ययता-पूर्ण, कुशल तथा प्रभावी प्रचालन परम महत्वपूर्ण है ताकि सहमत दरों पर उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसलिए सीओडी के 5 वर्षों के पश्चात् प्रबन्धन नियन्त्रण विकासकर्ताओं को सौंप देना संभवतया उचित नहीं होगा क्योंकि प्रचालन अवधि के प्रमुख भाग के दौरान एसपीवीज के लिए प्रायोजक सत्व का पर्याप्त समर्थन नहीं होगा जिसका यूएमपीपीज़ प्रचालन निष्पादन पर संभवतया प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिसका परिणाम सहमत दरों पर उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध नहीं होना होगा। इसके अतिरिक्त, अवमानक पूर्णगत उपस्कर का उपयोग करने वाले विकासकर्ता के विरुद्ध सुरक्षा भी नहीं मिलेगी क्योंकि नियन्त्रण सौंपे जाने के बाद प्रचालन के दौरान ऐसे उपस्कर अक्सर खराब हो सकते हैं।

संक्षेप में, बोलीदाताओं की पूर्व योग्यता के लिए न्यूनतम योग्यता मापदण्डों में कमी थी तथा मानक बोली दस्तावेजों की मूल शर्तों में बढ़ती प्रतियोगिता अथवा विकासकर्ताओं को सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता का कारण बताते हुए ढील दी गई थी। तथापि, इन उपायों से परियोजनाओं के लिए सुरक्षा उपायों में चूक होने की जोखिम बढ़ गई है।

21 फरवरी 2012 को आयोजित एक्जिट सम्मेलन में विद्युत मंत्रालय ने सूचित किया कि संशोधित मानक बोली दस्तावेजों जिन्हें मंत्रालय अंतिम रूप दे रहा था में लेखापरीक्षा के मत पर विचार किया जाएगा।

3.3.2 बोलीदाताओं हेतु लोवर नेटवर्थ अपेक्षा

वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 1000 करोड़ या इससे अधिक लागत वाली पीपीपी परियोजनाओं के लिए बोलीदाताओं के निवल मूल्य की अपेक्षा 15 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए तथापि, यूएमपीपीज़ के मामलों में, बोलीदाताओं के लिए न्यूनतम निवल मूल्य ₹ 1000 करोड़ अथवा समान यूएसडी था जो लगभग ₹ 20000 करोड़ की परियोजना लागत के 5 प्रतिशत के लगभग था।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2011 और मार्च 2012) कि योग्यता आवश्यकताओं ने बोलीदाताओं के बीच में भारी प्रतियोगिता संभव करवाई और इससे कम शुल्क मिला।

लेखापरीक्षा का मत है कि कम निवल मूल्य मानदण्ड के निर्धारण से यूएमपीपीज़ के लिए अनावश्यक जोखिम बनता है।

संक्षेप में, इक्विटी धारिता की एसबीडी शर्तों के अनुपयुक्त शिथिलन, मानक उपलब्धता एवं शास्ति और इक्विटी लॉक इन अवधि तथा परियोजना के पूरा होने/प्रारम्भ होने हेतु बोलीदाताओं आदि के लिए कम निवल मूल्य रखने के लिए ही नहीं बल्कि परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा यूएमपीपीज़ के कुशल प्रचालन पर भी एक कठोर तथा बारीक निगरानी की आवश्यकता होती है।